न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकड़ी जिला अजमेर (राजस्थान)

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 1/2021(2021/7)

श्रीमति निहाली देवी पत्नि श्री रामकिशन गुर्जर निवासी केकड़ी तहसील केकड़ी जिला अजमेर
–प्रार्थीयां

बनाम

1.राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार केकड़ी जिला अजमेर –अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251 क की उपधारा (1)राज0काश्तकारी अधिनियम

उपस्थितः–

1.चेतन धाबाई वकील – प्रार्थीयां

2. तहसीलदार केकड़ी –पैरोकार सरकार

उपखण्ड अधिकारी केकड़ी (अजमेर)

आदेश

दिनांक 28.09.2021

संक्षेप मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीयॉं ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 क, का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम केकड़ी की जमाबंदी संवत् 2069–2072 तहसील केकड़ी जिला अजमेर मे निम्नवर्णित आराजीयात स्थित हैः–

खेवट खतौनी		खसरा नंबर	रकबा	किस्म
नई	पुरानी			
1064	743	5002	0.0900	बारानी 1
1044	959	5001	0.74	बारानी 1

उक्त वर्णित आराजीयात प्रार्थीया के कब्जे काश्त स्वामित्व की आराजीयात है। जो राजस्व रेकार्ड जमाबंदी मे प्रार्थीयॉं के नाम दर्ज है। आराजीयात पर आने जाने हेतु राजस्व रेकार्ड नक्शा ट्रेस व जमाबदी मे कोई रास्ता दर्ज नही है। जिसमे आने जाने हेतु रास्ता आराजी खसरा नंबर 5011 से होकर चला आ रहा है। इसके अलावा प्रार्थीयां की आराजीयात मे आने जाने का कोई अन्य रास्ता नहीं है। इसी कदीमी रास्ते का उपयोग प्रार्थीयां व उसके परिवारजन कदीम से निर्बाध रूप से करते आ रहे है। अन्य खातेदार काश्तकार प्रार्थीयां को अपनी आराजीया तमे आने जाने मे बाधा उत्पन्न कर रहे है तथा लड़ाई–झगड़ा करने पर आमादा हो जाते है तथा दिनांक 25.11.2020 को प्रार्थीयां अपनी आराजी पर काश्त की गई फसल पर आने जाने के लिए बाधा उत्पन्न करने लग गये तथा प्रार्थीयां के साथ गाली गलोच व मारपीट करने पर आमादा हो गये तथा धमकी दी की आयंदा इस रास्ते से आये तो तुम्हारे हाथ पैर तोड़ देगे। इस प्रकार प्रार्थीयां को अन्य खातेदार काश्तकार अपनी आराजीयात पर आने जाने नहीं देते है। प्रार्थीयां को अपनी आराजीयात पर आने जाने मे काफी परेशानी होती है। आराजी खसरा नंबर 5011 मे से रास्ता दिया जाने मे किसी [illegible] कोई हानि नही है। ना एतराज होगा। प्रार्थीयां नियमानुसार आवश्यक फीस [illegible] को तैयार है। प्रकरण श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर [illegible] जरिये नोटिस तलब किया गया।

अप्रार्थीसंख्या 01 पैरोकार सरकार [illegible] के पत्र कमांक/भू.अ/2021/6046 दिनांक 19.08.2021से जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की [illegible] जिसके अनुसार ग्राम केकड़ी के खसरा नंबर 5001,5002 प्रार्थीयां की खातेदारी व कब्जा काश्त की भूमि है। प्रार्थीयां वर्तमान मे रेकार्डेड रास्ता खसरा नंबर 9496/5004 के पश्चात सिवायचक खसरा नंबर 5011 मे से नजरी मानचित्र मे दर्शाये अनुसार आवागमन कर रहे है। प्रार्थीयां के खेत से निकटतम दूरी पर खसरा नंबर 9496/5004 मे रेकार्डेड रास्ता विद्यमान है। खसरा नंबर 5011 रकबा 3.00

अधिकारी
(अजमेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2022.01.14 11:14:36 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScan

है0 मे से उत्तरी भुजा पर चौड़ाई 9.1 मीटर तथा 44.5 मीटर कुल 405 वर्गमीटर क्षेत्रफल बनता है। जिसकी डीएलसी दर के दुगने से 405 गुणा 2 गुणा 1646548 के अनुसार प्रतिकर राशि 133,372 रूपये बनते है। पैरोकार सरकार का जवाब प्राप्त होने पर बहस सुनी गई।

वकील प्रार्थीयां ने प्रार्थना पत्र मे अंकित कथनो को दोहराया। अप्रार्थी पैरोकार सरकार अपने कार्यालय के पत्र कमांक/भू.अ./2021/6046 दिनांक 19.08.2021से जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की है जिसके अनुसार ग्राम केकड़ी के खसरा नंबर 5001,5002 प्रार्थीयां की खातेदारी व कब्जा काश्त की भूमि है। प्रार्थीयां वर्तमान मे रेकार्डेड रास्ता खसरा नंबर 9496/5004 के पश्चात सिवायचक खसरा नंबर 5011 मे से नजरी मानचित्र मे दर्शाये अनुसार आवागमन कर रहे है। प्रार्थीयां के खेत से निकटतम दूरी पर खसरा नंबर 9496/5004 मे रेकार्डेड रास्ता विद्यमान है। खसरा नंबर 5011 रकबा 3.00 है0 मे से उत्तरी भुजा पर चौड़ाई 9.1 मीटर तथा 44.5 मीटर कुल 405 वर्गमीटर क्षेत्रफल बनता है। जिसकी डीएलसी दर के दुगने से 405 गुणा 2 गुणा 1646548 के अनुसार प्रतिकर राशि 133,372 रूपये बनते है। उक्त राशि का भुगतान प्रार्थीयां से प्राप्त कर राजकोष मे जरिये चालान जमा करवाया जावे। प्रार्थीयां का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार केकड़ी उक्त रास्ते का अंकन राजस्व रेकार्ड व नक्शा ट्रेस मे गै.मु0 सार्वजनिक रास्ते के रूप मे अंकित तरमीम करने की कार्यवाही की जावे। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करे।

आदेश खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(विकास पंचोली)
उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2022.01.14 11:14:36 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScan